BTC

Fee & Salary Latest (BTC) Norms
w.e.f BTC-2014 Batch

संख्या–1491/15–11–2014

प्रेषक,

एच०एल० गुप्ता
सचिव,
उ०प्र० शासन

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
उ०प्र०, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–11 लखनऊ दिनांक: 10 सितम्बर, 2014

विषय:– बी०टी०सी० तथा एन०टी०टी० पाठ्यक्रम संचालन हेतु संबद्धता प्राप्त निजी संस्थानों में प्रशिक्षणार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क का निर्धारण।

महोदय,

बी०टी०सी० तथा एन०टी०टी० पाठ्यक्रम संचालन हेतु संबद्धता प्राप्त निजी संस्थानों में प्रशिक्षणार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क का निर्धारण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 18.06.2002 के अनुक्रम में, शासनादेश संख्या–854/15–11–2010 दिनांक 19.05.2010 द्वारा किया गया। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की उक्त अधिसूचना दिनांक 18.06.2002 एन०सी०टी०ई० की अधिसूचना National Council of Teacher Education (Guidelines for regulation of tuition fees and other fees chargeable by unaided teacher education institution) Amendment Regulations No. F.No.51-3/2009/Pt/NCTE(N&S) Dt. 25.08.2010 द्वारा संशोधित कर दी गयी।

निजी संस्थानों में संचालित बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के प्रशिक्षणार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क निर्धारण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या–8362(एम०एस)/2013 उ०प्र० प्राईवेट कालेज एसोसिएशन बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21.01.2014, 17.02.2014, 04.04.2014 एवं 13.08.2014 के समादर में तथा एन०सी०टी०ई० की अधिसूचना दिनांक 25.08.2010 के प्रस्तर–5 में दी गयी व्यवस्था के अनुक्रम में शासनादेश संख्या–1044/15–11–2014 दिनांक 14.07.2014 द्वारा बी०टी०सी०/एन०टी०टी० पाठ्यक्रम संचालित करने वाली निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क निर्धारण हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 14.07.2014 द्वारा शुल्क निर्धारण हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 01.08.2014, 19.08.2014 एवं 29.08.2014 को आयोजित की गयी। समिति द्वारा लिये गये निर्णयों तथा प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है:–

(1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता के उपरान्त राज्य सरकार से बी०टी०सी०/एन०टी०टी० पाठ्यक्रम संचालन हेतु संबद्धता प्राप्त निजी संस्थानों द्वारा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अनुरूप पाठ्यक्रम का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेशों तथा समय–समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना में दी गयी व्यवस्थानुसार निजी संस्थानों द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार निर्धारित अर्हतायुक्त शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ को निर्धारित मानकों एवं प्रकिया के अनुसार सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी की पूर्वानुमति से सेवायोजित किया जाएगा तथा नियुक्ति में नियमानुसार आरक्षण लागू होगा।

(3) संबद्धता प्राप्त बी०टी०सी० तथा एन०टी०टी० संस्थानों में संकाय सदस्यों के वेतनमान निम्नवत होंगे–

–2–

Fee at Page 2

सम्बद्धता प्राप्त निजी बी0टी0सी0 संस्थानों में वेतन आगणन (रू0 में)

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	वेतनक्रम	पे बैण्ड	ग्रेड पे	महगाई भत्ता	अन्य भत्ता (आवास+न0प्र0भ0+आ0भ0 का 20 प्रतिशत)	स्वीकृत पद के प्रति एक माह का वेतन (रू0 में)	बारह माह का वेतन (रू0 में) (कालम –9 का 12 माह)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्राचार्य / विभागाध्यक्ष	1	15600—39100	15600	5400	21000	4200	46200	554400
2	प्रवक्ता	5	9300— 34800	9300	4800	14100	2820	180120	2233440
3	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	5200— 20200	5200	2800	8000	1600	17600	211200
4	यू0डी0सी0	1	5200— 20200	5200	2800	8000	1600	17600	211200
5	कम्प्यूटर आपरेटर / स्टोर कीपर	1	5200— 20200	5200	1900	7100	1420	15620	187440
			कुल योग	40500	17700	58200	11640	283140	3397680

संबद्धता प्राप्त निजी एन0टी0टी0 संस्थानों में वेतन आगणन (रू0 में)

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	वेतनक्रम	पे बैण्ड	ग्रेड पे	महगाई भत्ता	अन्य भत्ता (आवास+न0प्र0भ0+आ0भ0 का 20 प्रतिशत)	स्वीकृत पद के प्रति एक माह का वेतन (रू0 में)	बारह माह का वेतन (रू0 में) (कालम –9 का 12 माह)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्राचार्य / विभागाध्यक्ष	1	15600—39100	15600	5400	21000	4200	46200	554400
2	प्रवक्ता	4	9300— 34800	9300	4800	14100	2820	124080	1488960
3	प्रवक्ता स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा	1	9300—34800	9300	4600	13900	2780	30580	366960
4	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	5200— 20200	5200	2800	8000	1600	17600	211200
5	यू0डी0सी0	1	5200— 20200	5200	2800	8000	1600	17600	211200
6	कम्प्यूटर आपरेटर / स्टोर कीपर	1	5200— 20200	5200	1900	7100	1420	15620	187440
			कुल योग	49800	22300	72100	14420	251680	3020160

(4) निजी संस्थानों में चतुर्थ श्रेणी का कोई पद प्राविधानित न होते हुए भी संस्थानों द्वारा अपने वित्तीय स्रोतों के अधीन अधिकतम 02 चतुर्थ श्रेणी कर्मी दैनिक वेतन / संविदा के आधार पर तैनात किए जा सकेंगें।

(5) संस्थानों द्वारा विकास शुल्क की मद से प्राप्त धनराशि का उपयोग निम्नांकित मदों पर किया जा सकेगा—

क्र0सं0	मद	वार्षिक व्यय (रू0)
1	बिजली	169884
2	टेलीफोन / ब्राडबैण्ड	67954
3	विविध व्यय (स्टेशनरी / पोस्ट / यात्रा / जनरेटर / बागवानी / पुस्तकालय / साज—सज्जा / फर्नीचर / अनुरक्षण / लघुनिर्माण / भवन एवं उपकरण अनुरक्षण / प्रयोगशाला / कर / मुद्रण व अन्य आकस्मिक व्यय)	339768
4	कम्प्यूटर हार्डवेयर / पैरिफेरल्स / साफ्टवेयर	101930
	कुल व्यय	679536

(6) एन0सी0टी0ई0 के नोटिफिकेशन दिनांक 25.08.2010 के प्रस्तर 4 3(i) में उल्लिखित व्यवस्था *All the seats in each recognized institution shall be free seats and their fee structure shall be as determined by the competent authority* के आलोक में फ्री एवं पेड सीट के स्थान पर केवल फ्री सीट की सिंगल फी स्ट्रक्चर लागू किया जायेगा।

— 3 —

एन०सी०टी०ई० की उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 25.06.2010 के प्रस्तर 4(5)(i) में दी गयी व्यवस्था के अनुपालन में प्रशासन हेतु कोई भी कोटा देय नहीं होगा।

(8) बी०टी०सी० एवं एन०टी०टी० पाठ्यक्रम हेतु समान शुल्क निर्धारित किया जाता है।

(9) बी०टी०सी० एवं एन०टी०टी० पाठ्यक्रम संचालन हेतु सम्बद्धता प्राप्त संस्थानों में शुल्क निम्नवत निर्धारित किया जाता है:

(क) बी०टी०सी० हेतु वेतन मद में आगणित कुल व्यय	= रू० 3397680 (रू०—तैंतीस लाख सत्तानबे हजार छ सौ अस्सी मात्र)
(ख) वेतन मद के अतिरिक्त अन्य मदें / विकास शुल्क के अन्तर्गत व्यय हेतु कुल राशि	= रू० 679536 (रू०—छ लाख उन्नासी हजार पांच सौ छत्तीस)
(ग) बी०टी०सी० एवं एन०टी०टी० पाठ्यक्रम हेतु कुल व्यय	= वेतन मद में आगणित कुल व्यय+एन०सी०टी०ई० द्वारा अनुमन्य अन्य मदों में आगणित व्यय रू03397680+679536=4077216(रू0—चालीस लाख सतहत्तर हजार दो सौ सोलह मात्र)
प्रतिवर्ष 100 छात्रों हेतु कुल व्यय	= रू0 4077216 (रू0—चालीस लाख सतहत्तर हजार दो सौ सोलह मात्र)
प्रति छात्र प्रतिवर्ष व्यय	रू0 40772 (रू0—चालीस हजार सात सौ बहत्तर मात्र)
बी०टी०सी० एवं एन०टी०टी० पाठ्यक्रम हेतु प्रति छात्र प्रति वर्ष व्यय	रू0 40772 (रू0—चालीस हजार सात सौ बहत्तर रू0 मात्र)

(10) उपरोक्तानुसार राज्य सरकार द्वारा बी०टी०सी० एवं एन०टी०टी० पाठ्यक्रम संचालन हेतु संबद्धता प्राप्त निजी संस्थानों में प्रतिवर्ष प्रति छात्र रू0 41,000 (रू0—इकतालीस हजार मात्र) शुल्क निर्धारित किया जाता है। उपरोक्तानुसार निर्धारित शुल्क राज्य सरकार से संबद्धता प्राप्त बी०टी०सी० एवं एन०टी०टी० निजी संस्थानों में लागू होगा।

(11) एन०सी०टी०ई० की अधिसूचना दिनांक 25.06.2010 के प्रस्तर 9 Other procedural matters connected with levy of fees के बिन्दु संख्या—1 (ii) दी गयी व्यवस्था निम्नवत है—

The fees when revised shall be applicable only to new entrants.

एन०सी०टी०ई० की अधिसूचना दिनांक 25.06.2010 की उपर्युक्त वर्णित व्यवस्था के क्रम में बी०टी०सी० एवं एन०टी०टी० पाठ्यक्रम हेतु उपरोक्त निर्धारित फीस रू0 41,000 प्रतिवर्ष प्रतिछात्र (रू0—इकतालीस हजार मात्र) शैक्षिक सत्र 2014—15 एवं आगामी शैक्षिक सत्रों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार बी०टी०सी० एवं एन०टी०टी० पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों पर लागू किया जायेगा।

(12) निजी संस्थानों द्वारा चार्ज की जाने वाली फीस लाभार्जन अथवा व्यवसायीकरण हेतु प्रयोग में नहीं लाई जाएगी।

(13) शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ को 02 वर्ष प्रोबेशन पर रखा जाएगा।

(14) शिक्षण संस्थान शपथ पत्र के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमन्य शासकीय आर्किटेक्ट / इंजीनियर से हस्ताक्षरित मानचित्र / साइट प्लान 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे और यह स्पष्ट करेंगे कि प्रश्नगत पाठ्यक्रम के लिए किस फ्लोर पर कौन सा कक्ष संस्थान हेतु किस आशय से प्रयोग किया जाएगा और यह कक्ष किसी अन्य पाठ्यक्रम के लिए संयुक्त रूप से प्रयोग में लाया जा रहा है अथवा नहीं। संस्थान द्वारा प्रदर्शित स्थिति को बिना राज्य सरकार की अनुमति के पूर्व स्थिति के परिवर्तित करने की स्थिति में संबद्धीकरण को निरस्त किया जा सकेगा।

(15) संस्थान को अभ्यर्थी के मूल अभिलेख प्राप्त करने की अनुमति होगी, जिन्हें प्राप्ति के अधिकतम दो दिवस में अभ्यर्थी को वापस करके, सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी को अवगत भी कराना होगा।